न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 19/2019

1. भूराराम]
2. विमला] पि0 भानीराम जाति विश्नोई निवासीगण लक्ष्मीनारायणसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादीगण –

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादी –

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वादीगण की ओर से।
2. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 02.04.2019

1. संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम डेलाना छोटा तहसील लूनकरनसर के खसरा नं0 65 में 20.11 हैक्टेयर बारानी भूमि स्थित है जिस पर वादीगण अपने हिस्से के मुताबिक काबिज काश्त हैं। उक्त वादगत भूमि वादीगण के पिता की पुरानी खातेदारी भूमि रही है जो उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के नाम दर्ज हो गई हैं। वादगत उक्त भूमि वादीगण के पिता भवानी पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज थी जिनका स्वर्गवास होने के पश्चात जरिये विरासतन इन्तकाल वारिसानों के नाम दर्ज हुई। वादीगण के पिता का वास्तविक नाम भानी था किन्तु वादीगण के पिता अनपढ़ व ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण उन्होंने अपना नाम भानी बताया किन्तु भानी के स्थान पर भवानी लिखा गया जो बदस्तुर चलता रहा। उनके स्वर्गवास के पश्चात वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में भानी दर्ज किया गया जो वास्तविक नाम था इस कारण वादीगण भवानी के स्थान पर भानी दर्ज करवाना चाहते हैं। भवानी का अन्य दस्तावेजों में भानी नाम दर्ज है इसलिए भवानी व भानी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अलग अलग नाम होने के कारण वादीगण किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में भवानी के स्थान पर भानी दर्ज किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। दिनांक 20.01.2019 को वादीगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष भवानी के स्थान पर भानी नाम की दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया गया इस पर उनके द्वारा इन्कार कर दिये जाने से वादीगण को वादकारण हासिल हुआ है। अतः वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि वादगत संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डेलाना छोटा के खसरा नं0 65 की 20.11 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम भवानी के स्थान पर भानी दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार राज द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम शुद्व किया जाना उचित है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम डेलाना छोटा तहसील लूनकरनसर के खसरा नं0 65 में 20.11 हैक्टेयर बारानी भूमि स्थित है उक्त वादगत भूमि वादीगण के पिता की पुरानी खातेदारी भूमि रही है जो उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के नाम दर्ज हो गई हैं। वादगत उक्त भूमि वादीगण के पिता भवानी पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज थी जिनका स्वर्गवास होने के पश्चात जरिये विरासतन इन्तकाल वारिसानों के नाम दर्ज हुई। वादीगण के पिता का वास्तविक नाम भानी था किन्तु वादीगण के पिता अनपढ़ व ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण उन्होंने अपना नाम भानी बताया किन्तु भानी के स्थान पर भवानी लिखा गया जो बदस्तुर चलता रहा। उनके स्वर्गवास के पश्चात वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में भानी दर्ज किया गया जो वास्तविक नाम था चूंकि भवानी व भानी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अलग अलग नाम होने के कारण वादीगण किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण वादीगण भवानी के स्थान पर भानी दर्ज करवाना चाहते हैं। वादीगण ने तहसीलदार के समक्ष नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से स्पष्ट मना कर दिया। इसी दिनांक 20.01.2019 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वादगत संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डेलाना छोटा के खसरा नं0 65 की 20.11 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम भवानी के स्थान पर भानी दुरूस्त किया जावे।

4. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने जवाबदावा में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा सं0 2 में वादीगण के पिता का नाम भवानी दर्ज है, दावा के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम भानीराम दर्ज है तथा गांव डेलाना छोटा के खाता सं0 130 में भानी दर्ज है, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र में भानी दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम शुद्व किया जाना उचित है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों–ग्राम पंचायत रोझां, पंचायत समिति लूनकरनसर की तस्दीक, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नकल जमाबन्दी आदि दस्तावेजों तथा स्टेट के जवाबदावा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भवानी व भानीराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं वादगत संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डेलाना छोटा के खसरा नं0 65 की 20.11 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम भवानी के स्थान पर भानीराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, लूनकरनसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner